Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **चित्तौड़गढ़ में श्रम विभाग के दो जिला प्रबन्धक एवं उनका दलाल (प्राईवेट व्यक्ति) 20 हजार रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आरोपियों के आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *26 मई, गुरूवार*/ ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर राजसमन्द इकाई द्वारा चित्तौड़गढ़ में कार्यवाही करते हुये दलपतसिंह, कुलदीप सिंह हरदोनों जिला प्रबन्धक (संविदाकर्मी) श्रम विभाग, जिला चित्तौड़गढ़ को उनके दलाल नन्दलाल छीपा (प्राईवेट व्यक्ति) के माध्यम से परिवादी से **20 हजार रूपये** की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी. बी. की राजसमन्द इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके श्रमिक पिता की मृत्यु होने पर राज्य सरकार से दी जाने वाली 2 लाख रुपये की सहायता राशि समय पर दिलवाने एवं कोई रूकावट पैदा नहीं करने की एवज में दलपतसिंह राजपूत, कुलदीप सिंह राजपूत हरदोनों जिला प्रबन्धक (संविदाकर्मी) श्रम विभाग, जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा उनके दलाल नन्दलाल छीपा (प्राईवेट व्यक्ति) के माध्यम से **25 हजार रूपये** रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी, उदयपुर के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री राजेन्द्र प्रसाद गोयल एवं पुलिस अधीक्षक श्री राजीव पचार** के सुपरवीजन में एसीबी राजसमन्द इकाई के **उप अधीक्षक पुलिस श्री अनूप सिंह** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **पुलिस निरीक्षक श्री दयालाल चौहान** एवं उनकी टीम के साथ ट्रेप कार्यवाही करते हुये दलाल नन्दलाल छीपा पुत्र श्री चान्दमल निवासी सविता कॉलोनी, स्नेह हॉस्पिटल के पीछे, निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़ (प्राईवेट व्यक्ति) को परिवादी से **20 हजार रूपये** की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। आरोपी दलपत सिंह पुत्र श्री अर्जुनसिंह राजपूत निवासी बेणीपुरिया पुलिस थाना कपासन जिला चित्तौड़गढ़ हाल जिला प्रबन्धक (संविदाकर्मी) श्रम विभाग, जिला चित्तौड़गढ़ एवं कुलदीप सिंह पुत्र श्री बलवन्त सिंह राजपूत निवासी सी–17, रमेश नगर, इश्काबाद चौराहा के पास निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ हाल जिला प्रबन्धक (संविदाकर्मी) श्रम विभाग, जिला चित्तौड़गढ़ को भी गिरफ्तार किया गया है। उल्लेखनीय है कि आरोपियों द्वारा शिकायत करने से पूर्व ही परिवादी से **10 हजार रुपये** रिश्वत के रूप में वसूल कर लिये थे।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।